

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/जोन-जोधपुर/से0नि0/X-34-00516/2023/01

दिनांक:- 11/1/2024

—:: आदेश ::—

निम्नलिखित नर्सिंग कर्मियों द्वारा 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से मध्यान्ह पश्चात् राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम व पदनाम (सुश्री/श्रीमती)	पदस्थापन स्थान	जन्मतिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	उषा कुमारी महिला स्वास्थ्य दर्शिका	सिरोही	02.01.1964	23.11.1996	31.01.2024
2	मरियम्मा ए0टी0 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	सिरोही	01.05.1964	26.05.1984	30.04.2024
3	चिन्ना टी0एम0 महिला स्वास्थ्य दर्शिका	सिरोही	12.04.1964	22.08.1986	30.04.2024
4	चांद कंवर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	जोधपुर	06.05.1964	05.11.1988	31.05.2024
5	शारदा सोलंकी महिला स्वास्थ्य दर्शिका	जोधपुर	03.02.1964	22.06.1987	29.02.2024
6	जीवत कुमारी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	रामगढ जैसलमेर	09.05.1964	15.12.1989	31.05.2024
7	सेलजा कुमारी महिला स्वास्थ्य दर्शिका	जालोर	25.05.1964	05.11.1988	31.05.2024
8	वलसला सी.आर नर्सिंग ऑफिसर	जोधपुर	25.05.1964	28.04.1999	31.05.2024
9	सीमा चौहान, महिला स्वास्थ्य दर्शिका	जोधपुर	12.04.1964	12.06.1989	30.04.2024
10	सुनिता पुरोहित, महिला स्वास्थ्य दर्शिका	ओसिया, जोधपुर	08.07.1964	13.12.1985	31.07.2024
11	गिरिजा मणी, महिला स्वास्थ्य दर्शिका,	बांगड चिकि. पाली	27.01.1964	21.9.1988	31.01.2024

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त कर्मिकाओं के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

RajKaj Ref
5226854

(सुरेश नवल)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/जोन-जोधपुर/से0नि0/X-34-00516/2023/0

दिनांक:- 1/1/2024

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज. जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जोधपुर राजस्थान।
3. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय बांगड चिकित्सालय, पाली।
4. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
5. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
6. प्रशासनिक अधिकारी, डीपीसी/टी.सी. अनुभाग, अराजपत्रित, मुख्यालय।
7. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
8. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
9. आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

RajKaj Ref
5226854

Document certified by SURESH
NAWAL <add4ng@gmail.com>.
Digitally Signed by Suresh
Kumar Nawal
Designation: Director
Date :31-12-2023 11:56:06